FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) ...... मुकाम ......

ओटाराम ...... बनाम ...... लछाराम वगैरह

किस्म मुकदमा 111, 128 R.L.R. Act नं. 167/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/06/19	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/06/19 को पेश हो।	
12/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/07/19 को पेश हो।	
10/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/09/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

25.9.19 प्रार्थी अधिवक्ता उप० । श्रीमान पीठासीन अधिकारी किन्हीं कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दि० 30/12/19 को पेश हो ।

30/12/19 प्रार्थी वकील उप० । श्रीमान पीठासीन अधिकारी स्वेच्छा अवकाश में होने से पत्रावली दि० 10/2/2020 को पेश हो ।

10/2/2020 प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनु० । न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गयी । विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भूमि पास-पास आई हुई है खेत पर पुरानी मांड एवं कांटे बने हुए है जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खेती कर लेते है जिससे पक्षकारों के बीच तनाजा बना रहता है । इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की पक्की मेंढबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का मेंढबंदी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मेंढबंदी आदेश किया जावे ।

अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेंढबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बापड़ को कमीशनर तथा सम्बन्धित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेंढबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करावर करें । पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो ।

(हस्ताक्षर)
10/2/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested

3/ +

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 115 दिनांकः– 12/2/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. शैराराम पुत्र हीराराम वगैरा जाति जाट निवासी कालानाड़ा झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. तगाराम पुत्र वीरमाराम वगैरा निवासी कालानाड़ा झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 167 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कालानाड़ा पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 493 रकबा 59.17 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

10.2.2020
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 116-120 दिनांकः– 12/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री शैराराम
4. विप्रार्थीगण श्री तगाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:30:06 IST
Reason: SelfAttested